संख्या-41/2015/1624 सी0डी0/46-3-15-1000(67)/2014

प्रेषक

राम मोहन सक्सेना
विशेष् सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद,
हापुड, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सम्भल, सीतापुर, हरदोई,
गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2015

विषय-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित 52 सडकों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक के कालम-6 में अंकित लागत की धनराशि के अनुसार कुल रू0 19,05,26,500/- (रू0 उन्नीस करोड पाँच लाख् छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत, योजना हेतु निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार, शासकीय अंशदान के रूप में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 15,00,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) के सापेक्ष, संलग्न विवरण के अनुसार, शासकीय अंशदान की वित्तीय स्वीकृति सहित एकमुश्त रूप से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आंवटन किया गया है।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

3- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशं्दान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

4- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही

---------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्पादित कराये जायेगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

5- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 तथा शासनादेश संख्या ए-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के स्तम्भ-8 में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एवं अन्य आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या, समेकित रूप से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-**''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गो का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य''** के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव,

संख्या-41/2015/1624(1)सी0डी0/46-3-15-1000(67)/2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

-----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण् विभाग।
13- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-41/2015/1624 सी0डी0 /46-3-15-1000(67)/2014 दिनांक 31 जुलाई, 2015 का संलग्नक

अन्तग्रार्मीण सड़क निर्माण(जिला योजना) योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में सड़कों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) की स्वीकृत कार्ययोजना

क्र0	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहारनपुर	1	पिरड से सोहनीचड़ा की ओर	1.000	36.580	28.80	3.17	25.63
		2	अहमदपुर बाईपास मार्ग	1.200	47.060	37.05	4.08	32.97
		3	जडौदा पाण्डा बाईपास मार्ग	1.050	42.150	33.18	3.65	29.53
		4	हैदरपुर राजपुर मार्ग से छिछरौली मार्ग	0.750	31.020	24.42	2.69	21.73
		4	**योग-**	**4.000**	**156.810**	**123.45**	**13.59**	**109.86**
2	मु0नगर	1	सरवट में बिजली घर के पास पचेण्डा नसीरपुर मार्ग तक	0.770	32.345	25.47	2.81	22.66
		2	शकरपुर चौराहे से केलनपुर राजबाहे के पुल तक	0.800	29.810	23.47	2.58	20.89
		3	दतियाना बस अडडे से बढेडी की ओर	0.835	29.530	23.25	2.56	20.69
		3	**योग-**	**2.405**	**91.685**	**72.19**	**7.95**	**64.24**
3	शामली	1	खेडा गदाई से बुन्टा रजवाहे तक	1.500	55.060	43.35	4.77	38.58
		2	थानाभवन मुल्लापुर मार्ग से थानाभवन अवशेष भाग	0.200	9.100	7.16	0.79	6.37
		3	हरड नोजली मार्ग से उस्मानपुर	0.600	25.790	20.30	2.24	18.06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		4	मछरोली भोगी माजरा मार्ग से अबदान पुर की ओर	0.515	20.170	15.88	1.75	14.13
		5	शामली सहारनपुर मार्ग से गोमतीपुर अवशेष भाग	0.520	22.620	17.81	1.96	15.85
		6	ग्राम भैसवाल ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से जन्धेडी गढ़ी की ओर अवशेष भाग	0.550	22.620	17.81	1.96	15.85
		6	**योग-**	**3.885**	**155.360**	**122.31**	**13.47**	**108.84**
4	मेरठ	1	बडौत-रोहटा शाहजैनपुर रोड से पब्लिक स्कूल घासौली मार्ग	0.500	22.760	17.92	1.97	15.95
		2	ममूरी से लोईया मार्ग	0.800	31.102	24.49	2.70	21.79
		2	**योग-**	**1.300**	**53.862**	**42.41**	**4.67**	**37.74**
5	बागपत	1	रटौल निरोजपुर एम्मा सम्पर्क मार्ग से नगलाबड़ी	1.500	64.284	50.58	5.57	45.01
		1	**योग-**	**1.500**	**64.284**	**50.58**	**5.57**	**45.01**
6	गाजियाबाद	1	मकरतपुर सिखेड़ा से सारा मार्ग	1.000	41.632	32.78	3.61	29.17
		1	**योग-**	**1.000**	**41.632**	**32.78**	**3.61**	**29.17**
7	हापुड़	1	हसूपुर बाईपास मार्ग का निर्माण	0.650	27.543	21.68	2.39	19.29
		2	असरा मुरादपुर मार्ग से राजीव गॉधी डिग्री कालेज मुरादपुर की ओर	1.000	42.292	33.30	3.67	29.63
		3	अट्टा रेलवे क्रासिग से कनिया तक अवशेष भाग	0.825	32.481	25.57	2.82	22.75
		3	**योग-**	**2.475**	**102.316**	**80.55**	**8.88**	**71.67**
8	बिजनौर	1	बिन्जाहेडी से अलीपुरा जट मार्ग	0.400	18.795	14.80	1.63	13.17
		2	शाहनगर से किशनपुर भोगन अवशेष भाग	0.595	22.615	17.80	1.96	15.84
		3	हरेवली से चमरौला सैदपुरी मार्ग	0.500	25.821	20.33	2.24	18.09

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		4	पालनपुर रोड से मिलक बेनीरामपुर मार्ग अवशेष भाग	0.160	11.606	9.14	1.01	8.13
		4	**योग-**	**1.655**	**78.837**	**62.07**	**6.84**	**55.23**
9	मुरादाबाद	1	अकबरपुर चौराहे से नयागांव की ओर	1.300	53.871	42.41	4.67	37.74
		1	**योग-**	**1.300**	**53.871**	**42.41**	**4.67**	**37.74**
10	अमरोहा	1	ग्राम कठपुरा से कौराला	2.000	79.820	62.84	6.92	55.92
		2	ग्राम चचौरा से काई	1.800	89.097	70.15	7.73	62.42
		2	**योग-**	**3.800**	**168.917**	**132.99**	**14.65**	**118.34**
11	सम्भल	1	ग्राम रहटोल से मेन रोड तक	1.300	68.971	54.30	5.98	48.32
		1	**योग-**	**1.300**	**68.971**	**54.30**	**5.98**	**48.32**
12	सीतापुर	1	रामपुर कला मार्ग से नसीराबास	0.400	26.290	20.70	2.28	18.42
		2	ख्वाजाकुआं हरनीखुर्द रोड से हरनीकलां सम्पर्क मार्ग	1.000	65.550	51.61	5.68	45.93
		3	ढखिया तिराहे से बडागांव सम्पर्क मार्ग	0.910	52.300	41.18	4.54	36.64
		4	रढाछरासी से नेवादा सम्पर्क मार्ग	1.130	55.800	43.93	4.84	39.09
		4	**योग-**	**3.440**	**199.940**	**157.42**	**17.34**	**140.08**
13	हरदोई	1	ग्राम कुन्दौली मार्ग से कोडरा सम्पर्क मार्ग	0.783	41.470	32.65	3.60	29.05
		2	कुरिया-पिहानी मार्ग (दूसरे कि0मी0) से रमपुरा सम्पर्क मार्ग	0.450	23.250	18.30	2.02	16.28
		3	पिहानी सल्लिया मार्ग 7 वे कि0मी0 से गुरूदीनपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.800	41.130	32.38	3.57	28.81
		4	नगला भगवान मार्ग से शर्मा हाल्ट सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग	0.800	48.470	38.16	4.20	33.96

http://shasanadesh.up.nic.in

		5	सवायजपुर-हाइवे (गौरखेड़ा) मार्ग से रमापुर नहर पटरी मार्ग अवशेष भाग	0.988	54.600	42.99	4.73	38.26
		5	**योग-**	**3.821**	**208.920**	**164.48**	**18.12**	**146.36**
14	गोण्डा	1	सुखदेवपुरवा कालीस्थान से हरदयाल पुरवा तक	0.700	36.110	28.43	3.13	25.30
		2	सी0वी0एन0 मार्ग से महावीरनपुरवा तक	0.520	25.540	20.11	2.21	17.90
		3	रायपुर से लालापुरवा तक	0.415	24.250	19.09	2.10	16.99
		4	भूपतपुर मार्ग पर कल्हैयापुरवा से लालापुरवा तक	0.550	32.990	25.97	2.86	23.11
		5	टिकरी मार्ग काजीपुर तक	0.300	14.780	11.64	1.28	10.36
		6	पट्टी हरबक्स गॉव से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक	0.370	23.700	18.66	2.06	16.60
		7	गुडियन का पुरवा सड़क से अम्बरपुर गॉव तक	0.350	21.610	17.01	1.87	15.14
		7	**योग-**	**3.205**	**178.980**	**140.91**	**15.51**	**125.40**
15	बलरामपुर	1	नकटीनाला काशीराम मार्ग से मनकौरा कानूनगो	0.450	24.070	18.95	2.09	16.86
		1	**योग-**	**0.450**	**24.070**	**18.95**	**2.09**	**16.86**
16	बहराइच	1	पयागपुर हुजूरपुर मार्ग से सहेली ग्राम तक	0.910	49.570	39.03	4.30	34.73
		2	नंदवल जैतापुर मार्ग से नत्थूपुरवा	0.800	54.590	42.98	4.73	38.25
		2	**योग-**	**1.710**	**104.160**	**82.01**	**9.03**	**72.98**
17	बस्ती	1	बटेला जमोहरा पिच सड़क से बटैला हरिजन बस्ती तक	0.570	39.970	31.47	3.47	28.00
		2	रूधौली भानपुर मार्ग से अरदा से भरौली मार्ग का अवशेष भाग	0.300	21.650	17.05	1.88	15.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		3	रूधौली डुमरियागंज मार्ग पर अठदमा चीनी मिल से बाये कम्पोस्ट फैक्टरी आमी नदी पुल सम्पर्क मार्ग	0.400	31.180	24.55	2.70	21.85
		4	फिरदोशनगर मुस्लिम पैकोलिया मार्ग से झखरिया	0.550	24.230	19.08	2.10	16.98
		5	सुजिया कुर्दा मार्ग पर गोभिया चौराहे से पिपरा सम्पर्क मार्ग	0.700	35.620	28.04	3.09	24.95
		5	**योग-**	**2.520**	**152.650**	**120.19**	**13.24**	**106.95**
		52	**कुल योग-**	**39.766**	**1905.265**	**1500.00**	**165.21**	**1334.79**

(रू0 पन्द्रह करोड मात्र)

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।